

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

बनाम

किस्म मुकदमा 2017/183 नं. 5 सन् 2017

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>9/10/17 वाद/प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 23-10-17 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p>
<p>23/10/17</p>	<p><i>(Handwritten text in Hindi)</i>                  पत्रावली पेश हुई। विपक्षी सं० 1 का अर्ज पत्र पेश किया गया। विपक्षी सं० 2 की तामील में इंतजार में पत्रावली दिनांक 20/11/17 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी करेड़ा (भीलवाड़ा)</p>	<p><i>(Handwritten notes and signature)</i>                  पाहलपत्रिका                  सं 1                  Mukher                  20/11</p>
<p>20/11/17</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रावर्गण, को उपस्थित, जो वाद पत्र में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। तथा जिन्होंने नोटिस पेश किया है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुम्बर दोकर नम्बर से कम की जावे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p>